



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx  
xxxGIDExxx

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 16, 2023/आश्विन 24, 1945

No. 591]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2023/ASVINA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 744(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6, और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 320 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2016 के माध्यम से जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में कुछ संशोधन करने हेतु जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित रूप में इससे प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा उस तारीख से साठ दिन की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति करने या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: [satyender.kumar07@nic.in](mailto:satyender.kumar07@nic.in), [amit.love@nic.in](mailto:amit.love@nic.in) पर लिखित रूप में प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसमें इसके बाद "उक्त नियमों" के रूप में संदर्भित) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सा.का.नि. 320 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2016 के माध्यम से देश में पर्यावरण की अनुकूल तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैधानिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचित किए गए थे;

नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नियमों के तहत पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों की व्यापक कवरेज; कम्पोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए व्यवस्था शुरू करना; राज्य और स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में मल्टी-स्टेप मैनुअल रिपोर्टिंग और डेटा कैप्चरिंग की जगह ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग; मूल्य का पता लगाने के लिए पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रावधान करना शामिल है।

अतः अब, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस प्रारूप अधिसूचना को उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के तहत यथा अपेक्षित रूप से प्रकाशित करती है, जो इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) वे आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. उक्त नियमों में, नियम 3 में,

(i) उप-नियम (ट) में ““आयातक” का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों या कैरी बैगों या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीटों या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

““आयातक” का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग युक्त वस्तुओं या कैरी बैगों या प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक शीटों या इसी तरह की वस्तुओं और राल या गुटिकाओं सहित प्लास्टिक के कच्चे माल को आगे बेचने के उद्देश्य से आयात करता है”;

(ii) उप-नियम (ड) में ““निर्माता” से अभिप्रेत है और उसमें शामिल है निर्माता द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति या इकाई या एजेंसी” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

““निर्माता” से अभिप्रेत है और उसमें शामिल है प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति या इकाई या एजेंसी”;

(iii) उप-नियम (ढ) में, ““मल्टी-लेयर पैकेजिंग” का अर्थ है पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री और एक या अधिक परतों के संयोजन में मुख्य सामग्री के रूप में प्लास्टिक की कम से कम एक परत वाली सामग्री जैसे- या तो लेमिनेट या सह-एक्सट्रूडेड संरचना के रूप में कागज, पेपर बोर्ड, पॉलिमरिक सामग्री, धातुकृत परतें या एल्यूमीनियम पन्नी” शब्दों के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

““मल्टी-लेयर पैकेजिंग” का अर्थ है पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री और एक या अधिक परतों के संयोजन में मुख्य सामग्री के रूप में प्लास्टिक की कम से कम एक परत वाली सामग्री जैसे- या तो लेमिनेट या सह-एक्सट्रूडेड संरचना के रूप में कागज, पेपर बोर्ड, पॉलिमरिक सामग्री, एल्यूमीनियम पन्नी”;

(iv) उप-नियम (णक) में ““प्लास्टिक पैकेजिंग” का अर्थ है उत्पादों की सुरक्षा, संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए प्लास्टिक का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से और निम्नलिखित श्रेणियों में बनाई गई पैकेजिंग सामग्री”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्लास्टिक पैकेजिंग” का अर्थ उत्पादों की सुरक्षा, संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए प्लास्टिक का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से और निम्नलिखित श्रेणियों में बनाई गई पैकेजिंग सामग्री है:

(क) श्रेणी I

कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग;

(ख) श्रेणी II

एकल परतीय या बहुपरतीय (एक परत से अधिक विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के साथ) लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार की वस्तुएं और प्लास्टिक शीट से बने कवर, प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, धातुई परतों सहित प्लास्टिक सैशे या पाउच;

(ग) श्रेणी III

बहुपरतीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत प्लास्टिक की और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की कम से कम एक परत या एक सामग्री प्लास्टिक के रूप में और दूसरी प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री);

(घ) श्रेणी IV कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग;

(ड) श्रेणी V जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग "

(v) उप-नियम (प क) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"(प ख) "विक्रेता" का अर्थ वह व्यक्ति है जो आगे उपयोग या बिक्री के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का कच्चा माल/मध्यवर्ती सामग्री बेचता है।";

**3.** उक्त नियम के नियम 4 में,

(i) उप-नियम (1) के खंड (ड.) में, "निर्माता संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध पंजीकरण नहीं होने पर किसी उत्पादक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने हेतु प्लास्टिक नहीं बेचेगा या उपलब्ध नहीं कराएगा या इसकी व्यवस्था नहीं करेगा" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"निर्माता अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होने वाले किसी उत्पादक या किसी विक्रेता को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए प्लास्टिक नहीं बेचेगा या उपलब्ध नहीं कराएगा या इसकी व्यवस्था नहीं करेगा"

(ii) उप-नियम (1) के खंड (ज) में, "मोटाई का प्रावधान कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैगों और वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग और वस्तुएं समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ 17088:2021, जिसे कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए विनिर्देश कहा जाता है, के अनुरूप होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग और/या वस्तुओं या दोनों के निर्माता या विक्रेता, विपणन या बिक्री से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"मोटाई का प्रावधान गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले कैरी बैग, पाउच और इन नियमों के नियम 4 के उप नियम (2) (ख) के तहत प्रतिबंधित कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग और वस्तुएं समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ 17088:2021, जिसे कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए विनिर्देश कहा जाता है, के अनुरूप होंगी। कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैगों और/या नियमों के तहत अनुमत वस्तुओं, या दोनों, के निर्माताओं को विपणन या बिक्री से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा; और"

(iii) उप-नियम (1) के खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ज क) कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग की अनुमति इन नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य अंकन और लेबलिंग के साथ केवल गुटखा, तंबाकू और पान मसाला और नियम 4 के उप नियम (2) (ख) के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्रयुक्त कैरी बैगों, सैशे के निर्माण के लिए है। सीपीसीबी सरकार की मंजूरी के बाद, आवश्यकतानुसार, कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से अन्य वस्तुओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

(iv) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3क) उप-नियम (2)(ख) में उल्लिखित जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विनिर्माता का दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से बाजार में लाई गई ऐसी वस्तुओं की मात्रा और उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले इनसे उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचित करने का दायित्व होगा।

(v) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) प्लास्टिक से बनी वस्तुओं या प्लास्टिक से बने घटक (घटकों) वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयां, सहमति की अपेक्षाओं के हिस्से के रूप में, या तो स्वयं के माध्यम से या इन नियमों के तहत रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक प्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के चरण में बेकार होने या फेंकने के कारण उत्पन्न इसके उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगी और सहमति कार्यतंत्र के तहत वार्षिक आधार पर उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले संसाधित प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी, सहमति की अपेक्षाओं के अनुपालन के हिस्से के रूप में, इन रिपोर्टों को एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।”

4. उक्त नियम के नियम 6 के उप नियम (1) में “प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा” निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रत्येक स्थानीय निकाय, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार स्वयं या अभिकरणों या उत्पादकों या ब्रांड मालिकों को लगाकर, प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और इनकी स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा।”

(i) नियम 6 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(5) स्थानीय निकाय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट सहित एक वर्ष में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन करेगा और सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनित होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान भी लगाएगा।

(6) स्थानीय निकाय संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन करेगा और अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अपनी वेबसाइटों पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) स्थानीय निकाय अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(8) स्थानीय निकाय, सीपीसीबी द्वारा विकसित किए जाने वाले केंद्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्ररूप V(क) में निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

(i) पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट सहित एक वर्ष में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट

(ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना

(iii) उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान

(iv) उप नियमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की स्थिति

(v) प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के निवारण हेतु की गई कार्रवाई।”

5. उक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (1) में “प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात्”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत या पंचायती राज संस्थान या तो स्वयं या अभिकरणों या उत्पादकों या ब्रांड मालिकों या विनिर्माताओं के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार उनके नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा, अर्थात्”

- (i) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- (घ) सभी हितधारकों के बीच अपने उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना;
- (ङ) कचरा बीनने वालों के साथ काम करने वाले नागरिक समाज या समूहों को शामिल करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए;
- (छ) ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

**6.** उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7क. जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान (जैसे जिला परिषद) का उत्तरदायित्व

- (1) जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट सहित एक वर्ष में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान करेगा और सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का प्रक्षेपण करने की प्रक्रिया भी विकसित करेगा।
- (2) जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा का आकलन करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अपनी वेबसाइटों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (3) जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान सीपीसीबी द्वारा विकसित किए जाने वाले केंद्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्ररूप V(ख) में अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे :

- (i) पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट सहित एक वर्ष में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट
- (ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा
- (iii) जनित होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रक्षेपण
- (iv) उप-नियमों के निर्माण और इनके कार्यान्वयन संबंधी स्थिति
- (v) प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयां।”

**7.** उक्त नियमों में, नियम 9 में,

(i) उप-नियम (1) में “उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (जक) में उल्लिखित अनुमत कंपोस्ट योज्य और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और विनिर्माता, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे।”,

(ii) उप-नियम (2) में, “उपयोग में लाए गए बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्राउंड स्वामियों का होगा जो बाजार में उत्पाद को लाते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“उपयोग में लाए गए बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों का होगा जो बाजार में उत्पादों को लाते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट व्यवस्था विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड-मालिक और प्लास्टिक के विनिर्माता और आयातक जमा धनवापसी प्रणाली या बायबैक या किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाएं संचालित कर सकते हैं। इससे ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोका जा सकेगा।”

**8.** नियम 10 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7) ऐसे मामलों में जहां प्रयोगशाला को बीआईएस या एनएबीएल द्वारा मान्यता दिये जाने/प्रमाणित किए जाने से पहले नमूना परीक्षण शुरू हो गया है और रिपोर्ट आईएस 17899 टी : 2022 के अनुरूप है, वहां आईएस 17899 टी : 2022 के अनुरूप रिपोर्ट के उपलब्ध करने के लिए आवेदक को दुबारा परीक्षण हेतु नमूना प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है और उप-नियम 6 के अंतर्गत आने वाली विधिवत् मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से नई जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की अवधि तक, उक्त जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक सामग्री के उत्पादन या उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

“(8) भारतीय मानक ब्यूरो कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक के प्रसंस्करण और की उपयोगावधि की समाप्ति जैव अवक्रमण के लिए पर्यावरणीय साधनों/स्थानों के आधार पर प्लास्टिक पैकेजिंग और कम्पोस्ट योज्य तथा जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए अलग-अलग रंग/चिह्न निर्धारित करेगा।”

#### 9. नियम 11 में,

(i) उप-नियम (2) में, “प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित “पुनःचक्रित” लेबल या चिह्न होगा और भारतीय मानक के समय-समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश आईएस 14534: 1998 के अनुसार होगा”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग या प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर नीचे दिखाए गए अनुसार “पुनःचक्रित” लेबल या निशान होगा और समय-समय पर संशोधित “प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए दिशानिर्देश” शीर्षक के तहत भारतीय मानक : आईएस 14534: 1998 के अनुरूप होगा।”

(ii) उप-नियम (3) में, “कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कम्पोस्ट योज्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088:2008 के अनुरूप होगा” के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“नियम 4 के तहत शामिल किए गए कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने प्रत्येक कैरी बैग या प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर “केवल औद्योगिक कम्पोस्टिंग के तहत कम्पोस्ट योज्य” लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा. / भा.मा.स. 17088:2008 के अनुरूप होगा।

(iii) नियम 11 के उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) नियम 4 के तहत शामिल किए गए जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक से बने प्रत्येक कैरी बैग या प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर “[--- दिनों की संख्या निर्दिष्ट करें ---] में इन केवल [---निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता वातावरण जैसे भूमि, लैंडफिल, पानी आदि ---] में जैवअवक्रमणीय लेबल लगा होगा।

#### 10. नियम 13 में,

(i) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(4) प्लास्टिक कच्ची सामग्री का प्रत्येक निर्माता और आयातक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसूची-11 में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप III में एक बारगी रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा:

(i) प्लास्टिक पैकेजिंग के केवल उन उत्पादकों को प्लास्टिक कच्ची सामग्री बेचें जो अनुसूची-11 में निर्दिष्ट “केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल” पर रजिस्ट्रीकृत हैं और प्लास्टिक की कच्ची सामग्री की बिक्री के लिए बिक्री चालान पर ऐसे उत्पादक की पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है;

(ii) प्रतिबंधित सिंगल यूजप्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण में लगी किसी भी इकाई या इकाइयों को प्लास्टिक कच्ची सामग्री की बिक्री न करना;

(iiक) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री केवल उन विक्रेताओं को बेचना जो “केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल” पर रजिस्ट्रीकृत हैं

(iii) अनुसूची -11 में निर्दिष्ट “केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल” पर प्ररूप VII के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iv) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के सभी पैकेजिंग बैग पर निम्नलिखित प्रिंट करना :

“50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक शीट, 60 जीएसएम से कम अवयनित कैरी बैग, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग सहित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(v) प्लास्टिक कच्ची सामग्री की बिक्री से संबंधित सभी समझौता ज्ञापन/बिक्री अनुबंध/मूल्य सूचियों में निम्नलिखित को शामिल करना :

“खरीदार इसके द्वारा समय-समय पर संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ("पीडब्ल्यूएम नियम") और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं और निर्देशों सहित लागू कानूनों का पालन करने के लिए हर समय वचन देता है और आश्वासन देता है। खरीदार स्पष्ट रूप से वचन देता है और विश्वास दिलाता है कि खरीदे गए प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीडब्ल्यूएम नियमों में सूचीबद्ध प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के उत्पादन में नहीं किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

(4क) प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक की कच्ची सामग्री या मध्यवर्ती सामग्री को उत्पादक को बेचने में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को अनुसूची-11 में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्ररूप में एक बारगी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करना होगा।

(iii) उप-नियम (8) में,

“प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु विनिश्चय करेगा”, शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास उपनियम (5) के उपनियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है, तो ऐसे मामलों में 30 दिन पूरे होने के बाद सीपीसीबी रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण बन जाएगा.'

**11.** नियम 17 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“17. वार्षिक रिपोर्टें.- (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप IV में वार्षिक रिपोर्टें तैयार करेगा और सीपीसीबी द्वारा विकसित ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्लास्टिक कच्चे माल के प्रत्येक विनिर्माता और आयातक को सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से हर साल 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप V II में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करनी होगी।

(3) प्लास्टिक के कच्चे माल या प्लास्टिक पैकिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती सामग्री की बिक्री में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से हर साल 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को सीपीसीबी द्वारा निर्धारित में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करनी होगी।

(4) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान क्रमशः संबंधित शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को प्रपत्र-V सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को सूचित करेगा।

(5) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के कार्यान्वयन पर हर साल 31 जुलाई तक प्रपत्र V I सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके सीपीसीबी को प्रस्तुत करेगी।

(6) सीपीसीबी प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग और प्रबंधन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे हर साल 31 अगस्त से पहले अपनी अनुशंसाओं के साथ केंद्र सरकार को भेजेगा।

(7) सीपीसीबी, अपेक्षानुसार, सरकार को सूचित करते हुए इन नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्रों में संशोधन करेगा।

**12.** उक्त नियमों की अनुसूची II में, शीर्षक में "प्लास्टिक पैकिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देश" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्लास्टिक पैकिंग और कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक और जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देश"

**13.** अनुसूची II के खंड 4 में, शब्दों के लिए, "बाध्य संस्थाएँ :

निम्नलिखित संस्थाओं को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों और इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाएगा: -

(i) प्लास्टिक पैकिंग के उत्पादक (पी);

(ii) सभी आयातित प्लास्टिक पैकिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकिंग का आयातक (आई);

(iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर ब्रांड ओनर्स (बीओ) जिसमें ऑनलाइन प्लेटफार्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/रिटेल श्रृंखला शामिल हैं।

(iv) प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक", के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बाध्य संस्थाएँ :

निम्नलिखित संस्थाओं को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों और इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाएगा: -

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर, प्लास्टिक पैकिंग के निर्माता (पी);

(ii) सभी आयातित प्लास्टिक पैकिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकिंग का आयातक (आई);

(iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर ब्रांड ओनर्स (बीओ) जिसमें ऑनलाइन प्लेटफार्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/रिटेल श्रृंखला शामिल हैं।

(iv) प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक;

(v) प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माता और आयातक;

(vi) उपनियम (4)(हेक्टेयर) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माता, जो कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक और जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक से बने हैं।

**14.** अनुसूची II के खंड 5 के उप-खंड (5.1) की मद (iv) में, शब्द "श्रेणी IV प्लास्टिक शीट या पैकिंग के साथ-साथ कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग" के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्:-

"गुटखा, तम्बाकू और पान मसालों के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले कैरी बैग, पाउच और इन नियमों के नियम 4 के उप नियम (2) (ख) के तहत प्रतिबंधित वस्तुएं और नियम 4, के उप-नियम (1) (हेक्टेयर) के तहत आने वाली वस्तुएं, श्रेणी iv कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बनी है"

**15.** अनुसूची II के खंड 5 के उप-खंड (5.1) के मद (iv) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्: -"गुटखा, तम्बाकू और पान मसालों के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले कैरी बैग, पाउच और इन नियमों के नियम 4 के उप नियम (2) (ख) के तहत प्रतिबंधित वस्तुएं और नियम 4 के उप-नियम (1) (हेक्टेयर) के तहत आने वाली वस्तुएं, श्रेणी V में जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी है।

**16.** अनुसूची II के खंड (6.3) में, "खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नहीं होने वाली किसी भी इकाई के साथ व्यापार नहीं करेंगी" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्:-

"खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं, खंड 6.1 के अंतर्गत आने वाली कोई भी अपंजीकृत इकाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नहीं होने वाली किसी भी इकाई के साथ व्यापार नहीं करेगी"



**17.** अनुसूची II के खंड 6 के उप-खंड (6.1) की श्रेणी (क) में, शब्दों के लिए "निम्नलिखित संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत होंगी अर्थात्:-

- i. उत्पादक (पी);
- ii. आयातक (आई);
- iii. ब्रांड ओनर्स (बीओ);
- iv. प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल, और (iv) औद्योगिक खाद बनाने में लगा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"निम्नलिखित संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण करेंगी :-

उत्पादक (पी) जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं;

- i. आयातक (आई);
- ii. ब्रांड ओनर्स (बीओ);
- iii. प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल, और औद्योगिक खाद बनाने में लगा हुआ है;
- iv. प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माता और आयातक;
- v. उप नियम (4) (हेक्टेयर) में उल्लिखित कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक और जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माता।

**18.** अनुसूची II का खंड (7.8) हटा दिया जाएगा।

**19.** अनुसूची II में खंड (7.7) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(7.9) प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माता या आयातक – विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य श्रेणीवार के लिए की ग्राह्य मात्रा एमटी में।

(i) सूक्ष्म और लघु उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माताओं या आयातकों द्वारा पूरी की जाएगी जिन्होंने सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को प्लास्टिक कच्चे माल की आपूर्ति की है:

बशर्ते कि ऐसे उत्पादकों द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

(ii) प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माता या आयातक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य श्रेणी-वार सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को बेची जाने वाली प्लास्टिक कच्चे माल की मात्रा होगी, जहां बिक्री चालान को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माता या आयातक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(iii) प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी सूक्ष्म और लघु उत्पादकों द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर बताई जाएगी।

(iv) ईपीआर लक्ष्य को श्रेणी-वार पूरा करते समय प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादक या आयातक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के तहत एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के न्यूनतम स्तर (निपटान की समय-सीमा को छोड़कर) को श्रेणी-वार सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है और जो निम्न के अधीन हैं, अर्थात्: -

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (निपटान की समयसीमा को छोड़कर) (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28 और उसके बाद
श्रेणी I	50	60	70	80

श्रेणी II	30	40	50	60
श्रेणी III	30	40	50	60
श्रेणी IV	50	60	70	80

श्रेणी IV की प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी (प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक शीट और कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में, पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर का अर्थ है औद्योगिक कम्पोस्ट योग्य सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना है।

**20.** अनुसूची II के खंड 8 के उप-खंड (8.4) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“(8.5) सीपीसीबी बाध्य संस्थाओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के संव्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (प्लेटफार्मों) की स्थापना के लिए एजेंसियों के प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(8.6) ईपीआर प्रमाणपत्रों का संव्यवहार - क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सीपीसीबी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों की संख्या को सीमित किया जा सकता है।

(8.7) बाध्यकारी संस्थाओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के संव्यवहार के लिए खंड 8.5 के तहत स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों का संचालन और विनियमन, इस प्रयोजन के लिए सीपीसीबी द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(8.9) सीपीसीबी प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन की लागत और प्रवृत्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छह महीने या आवश्यकतानुसार ईपीआर प्रमाणपत्र के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य तय करेगा।

**21.** खंड 10 में "उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों की भूमिका" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों और निर्माताओं और आयातकों की भूमिका”

**22.** खंड (10.1) में, "(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा", इन शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(10.1) प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और निर्माताओं और आयातकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

**23.** खंड (10.5) में, "(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड-स्वामियों जमा धनवापसी प्रणाली या बायबैक या किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाएं संचालित कर सकते हैं। यह ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के मिश्रण पर रोक लगाएगा।" इन शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था विकसित करने के लिए, प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादक, आयातक और ब्रांड-स्वामियों और विनिर्माता और आयातक जमा धनवापसी प्रणाली या बायबैक या किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाएं संचालित कर सकते हैं। इससे ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के मिश्रण को रोका जा सकेगा।

**24.** खंड (10.6) में, "उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द "प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माता और आयातक" शामिल किए जाएंगे।

**25.** अनुसूची II के खंड 15.1 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(15.1) प्लास्टिक कच्चे माल के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों और निर्माताओं और आयातकों को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक निपटान की समयावधि के लिए भेजी गई

मात्रा के विवरण के साथ केवल पंजीकृत रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्रों का विवरण प्रदान करना होगा। उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों और पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा क्रॉस-चेक किया जाएगा। अंतर के मामले में, कम आंकड़े को उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए माना जाएगा। प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सत्यापित होने चाहिए, जैसा भी मामला हो।

**26.** अनुसूची II के खंड 15.2 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा :

(15.3) जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक के निर्माता पारस्परिक रूप से सहमत तौर-तरीकों के आधार पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार ईपीआर प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करेंगे। स्थानीय अधिकारी बीआईएस मानक के अनुसार संबंधित प्राप्तकर्ता पर्यावरण में जैव अवक्रमणीय समयावधि पूरी करने के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बराबर ईपीआर प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व संरचना के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय इस तरह के आदान-प्रदान केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माताओं द्वारा दर्ज और प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

**27.** उक्त नियमों में, प्ररूप V को निम्नलिखित प्ररूपों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### प्रारूप V

(क) शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्ररूप रिपोर्टिंग की अवधि:

क	सामान्य	
1.	शहर या कस्बे और राज्य का नाम :	
2	स्थानीय निकाय का नाम और पता	
3	संपर्क ई-मेल :	
4	संपर्क फोन नंबर	
5	जनसंख्या	
6	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	
7	अधिकार-क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों की कुल संख्या	
8	अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले घरों की कुल संख्या (वर्तमान वर्ष)	
9	घर-घर संग्रहण के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या	
10	घर-घर संग्रहण के दायरे में आने वाले क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों की कुल संख्या	
	• वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	
	• संस्थान	
ख	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली	
1	क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र के तहत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए स्थापित तंत्र का सारांश और इसमें शामिल एजेंसियों का ब्यौरा (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)	
2	कृपया अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे का ब्यौरा संलग्न करें।	
3	अलग-अलग अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण (कवरेज)	
4	एमआरएफ केंद्रों की कुल संख्या और क्षमता	

	क) यांत्रिक एमआरएफ केंद्रों की संख्या और क्षमता।			
	ख) मैनुअल एमआरएफ केंद्रों की संख्या और क्षमता।			
5	कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए औद्योगिक खाद इकाई की संख्या और क्षमता			
6	प्रचालन योज्य अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्रों की संख्या और क्षमता			
7	प्रचालन योज्य अपशिष्ट से तेल निर्माण इकाइयों की संख्या और क्षमता			
8	सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और क्षमता किलोमीटर में			
9	दिशा-निर्देशों के अनुसार थर्मोसेट प्लास्टिक का निपटान			
10	प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए सीमेंट संयंत्रों आदि के साथ संपर्क			
11	सैनिटरी लैंडफिल में पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता से अक्रिय सामग्री के निपटान के लिए प्रावधान (हां/नहीं)			
12	श्रेणी-वार विवरण के साथ पुनर्चक्रण सुविधा की संख्या			
13	वैज्ञानिक लैंडफिल साइट (संख्या और क्षमता)			
14	पुराना अपशिष्ट स्थल (पुराने अपशिष्ट स्थलों की संख्या और मात्रा)			
ग	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, पृथक्करण और निर्धारण			
1.	उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा (टन)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी I/श्रेणी II/श्रेणी III/श्रेणी IV)</li> <li>अन्य प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट</li> </ul>			
2	कृपया पुष्टि करें कि प्लास्टिक अपशिष्ट सृजन का आकलन सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार है (हां/नहीं)			
3	कृपया सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट वर्गीकरण रिपोर्ट अपलोड करें			
4	वर्ष के दौरान अधिकार क्षेत्र के तहत एकत्रित प्लास्टिक की मात्रा (टन में)			
5	प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण (टन में)			
6	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)			
7	वर्ष के दौरान पुनः उपयोग के लिए भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)			
8	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण सुविधाओं से लैंडफिल साइटों पर भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत अपशिष्ट की मात्रा (टन में)			
घ	ईपीआर कार्यान्वयन			
1.	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा दिया गया यूएलबी पंजीकरण संख्या			
2.	प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों का विवरण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)			
	नाम	प्रकार (पुनर्चक्रणकर्ता /सह-संसाधक/ अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से	पंजीकरण संख्या	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)

	तेल/सड़क बनाना)							
				पीडब्ल्यू (श्रेणी-I)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-II)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-III)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-IV)	अन्य
	प्रकार (पुनर्चक्रणकर्ता /सह-संसाधक/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सड़क बनाना)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-I)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-II)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-III)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-IV)	अन्य		
<b>3</b>	पीडब्ल्यूएम के लिए ईपीआर दिशानिर्देश का लाभ उठाया गया(हाँ/नहीं)							
<b>क</b>	मॉडल चयन (1. यूएलबी के स्वयं के पीडब्ल्यूपी 2. प्लास्टिक अपशिष्ट उपलब्ध कराना 3. अन्य)							
<b>4</b>	पिछले वर्ष में यूएलबी के स्वयं के पीडब्ल्यूपी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (एमटी)							
<b>5</b>	पिछले वर्ष पीआईबीओ (एमटी) को हस्तांतरित प्रमाणपत्र							
<b>6</b>	अन्य (विवरण)							
<b>ड</b>	अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन							
<b>1</b>	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों की कुल संख्या और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र							
<b>क</b>	-व्यावसायिक प्रतिष्ठान = मॉल, सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन							
<b>ख</b>	- संस्थान- स्कूल, कॉलेज, कार्यालय परिसर आदि							
<b>ग</b>	-हॉटस्पॉट - पर्यटक स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाज़ार, मछली बाज़ार, फूल बाज़ार, धार्मिक स्थान आदि।							
<b>2</b>	निरीक्षणों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से स्वतः प्राप्त डेटा)							
<b>3</b>	एसयूपी प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए बंद किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और हॉटस्पॉट की कुल संख्या							
<b>4.</b>	लगाया गया कुल जुर्माना (रु. में) ( एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से स्वतः प्राप्त डेटा)							
<b>5.</b>	जब्त किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन में) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से स्वतः प्राप्त डेटा)							
<b>6.</b>	एसयूपी मुक्त किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और हॉटस्पॉट की कुल संख्या							
<b>7.</b>	जब्त किए गए एसयूपी के निपटान के तरीके का विवरण							
	जब्त किए गए एसयूपी की मात्रा (टन में)				निपटान का माध्यम		प्लास्टिक अपशिष्ट	

		(पुनर्चक्रण/ डब्ल्यूटीई / डब्ल्यूटीओ /सह-संसाधन)	प्रसंस्करणकर्ता नाम और पता
9.	अपघटकीय प्लास्टिकों सहित वैकल्पिक उत्पादन करने वाली इकाईयों का विवरण		
	क्र.सं.	इकाई का नाम	वैकल्पिक एसयूपी संसाधन क्षमता (टीपीए) पता
10.	एसयूपी शिकायत ऐप पर प्राप्त शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से स्वतः प्राप्त डेटा)		
11	निवारण की गई शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से स्वतः प्राप्त डेटा)		
12	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना		
13	नाली और जल निकास में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश बिंदुओं की पहचान की गई		
14	प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त किए गए सतही जल निकायों और नालों की संख्या		
15	जल निकायों और नालों में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय		
16	प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के लिए पारि-विकल्पों के वितरण बिंदु		
च	पीडब्ल्यूएम नियमों का प्रवर्तन		
1.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपनियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)		
2.	किए गए उल्लंघनों की संख्या और पीडब्ल्यूएम नियम, 2016, यथा संशोधित, 2018 (नियम 12) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर की गई कार्रवाई		
3.	उल्लंघन की कुल संख्या (जलाना/कूड़ा फैलाना)		
4.	की गई कार्रवाई (जुर्माना लगाया गया रुपये में)		

(ख) जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

रिपोर्टिंग की अवधि:

क	सामान्य	
1.	जिला और राज्य का नाम:	
2	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था का नाम और पता	
3	ई-मेल पता:	
4	फ़ोन नंबर	
5	शामिल की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	
6	शामिल किए गए गांवों की संख्या	

7	कुल जनसंख्या					
8	कुल क्षेत्रफल					
9	परिवारों की कुल संख्या					
<b>ख</b>	<b>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र</b>					
1.	शामिल अभिकरणों के विवरण के साथ अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थापित तंत्र का सारांश (कृपया विवरण संलग्न करें)					
2.	कृपया अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सृजित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचे का विवरण संलग्न करें					
3.	स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की कुल संख्या सहित उनकी क्षमता					
<b>ग</b>	<b>प्लास्टिक अपशिष्ट सृजन, पृथक्करण एवं संग्रहण, वर्गीकरण</b>					
1.	सृजित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में) (प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट: श्रेणी I/श्रेणी II/श्रेणी III/श्रेणी IV और अन्य)					
2.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)					
3.	पृथक्करण किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में)					
4.	कृपया पुष्टि करें कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का आकलन सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार है (हां/नहीं)					
5.	कृपया सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट वर्गीकरण रिपोर्ट अपलोड करें					
6.	प्लास्टिक अपशिष्ट को संसाधित करने और पुनर्चक्रण हेतु भेजा गया (प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा, प्रसंस्करण के प्रकार का विवरण)					
7.	पीडब्ल्यूएम के लिए ईपीआर दिशानिर्देश का लाभ उठाया गया (हां/नहीं)					
<b>क</b>	मॉडल चयन ((1. यूएलबी के स्वयं के पीडब्ल्यूपी 2. प्लास्टिक अपशिष्ट उपलब्ध कराना 3. अन्य)					
<b>घ</b>	<b>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण का विवरण (ईपीआर विवरण सहित)</b>					
	प्रकार (पुनर्चक्रणकर्ता /सह-संसाधक/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सड़क बनाना)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-I)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-II)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-III)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-IV)	अन्य
<b>ङ</b>	<b>अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन</b>					
1	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और क्षेत्र में हॉटस्पॉट की कुल संख्या					
<b>क</b>	- संस्थाएँ- स्कूल, कॉलेज, आदि					

ख	हॉटस्पॉट - सब्जी मंडी , थोक बाज़ार, मछली बाज़ार, फूल बाज़ार, धार्मिक स्थल आदि।	
2	एसयूपी मुक्त किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और हॉटस्पॉट की कुल संख्या	
च	<b>पीडब्ल्यूएम नियमों का प्रवर्तन</b>	
1	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपनियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)	
2	किए गए उल्लंघनों की संख्या और पीडब्ल्यूएम नियम, 2016, यथा संशोधित, 2018 (नियम 12) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर की गई कार्रवाई	
3	उल्लंघन की कुल संख्या (जलाना/कूड़ा फैलाना)	
4	की गई कार्रवाई (रूपये का जुर्माना लगाया गया)	

28. उक्त नियमों में, फॉर्म V I को निम्नलिखित प्रपत्र से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

### फॉर्म V I

एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप रिपोर्टिंग की अवधि:

क	सामान्य	
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
2.	एसपीसीबी/पीसीसी का नाम और पता:	
3.	ई-मेल पता	
4.	फोन नंबर	
5.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (राज्य स्तर)	
	• संग्रह (एमटी)	
	• पृथक्करण (एमटी)	
	• पुनर्चक्रण सहित प्रसंस्करण (एमटी)	
	• निष्पादन (एमटी)	
ख	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र	
1.	संघ राज्य क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में लगे तंत्र का संक्षिप्त विवरण और इसमें शामिल एजेंसियों का ब्यौरा (कृपया विवरण संलग्न करें)	
2.	कृपया अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में संलग्न अवसंरचना का विवरण संलग्न करें।	
3.	एमआरएफ सुविधाओं की कुल संख्या	
क	मशीनी एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और उनकी क्षमता	
ख	मैनुअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और उनकी क्षमता	



ग	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, पृथक्करण और वर्गीकरण			
1.	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कुल संख्या			
2.	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या			
3.	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ग्राम पंचायत (जीपी) की कुल संख्या			
4क	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या			
4ख	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है			
5	कृपया अभिपुष्ट करें कि क्या सभी जीपी/यूएलबी ने सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्धारित समय में पूरी जानकारी प्रदान की है (हां/नहीं)			
6.	कृपया उन शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों की संख्या उपलब्ध कराएं जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है।			
7.	कृपया उपरोक्त "6" के अनुसार जीपी/यूएलबी पर लगाए गए ईसी की कुल राशि बताएं			
8.	उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में) (श्रेणी I/श्रेणी II/श्रेणी III/श्रेणी IV/अन्य)			
9.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)			
10.	पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन)			
11.	कृपया इस बात की पुष्टि करें कि क्या सभी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन और वर्गीकरण का मूल्यांकन कर लिया है। (हां / नहीं)			
12.	कृपया सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट वर्गीकरण रिपोर्ट अपलोड करें			
13.	कृपया पुष्टि करें कि क्या डेटा सत्यापन और मिलान सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार किया गया है (हां / नहीं)			
घ	ईपीआर का क्रियान्वयन			
1.	ईपीआर पर पंजीकृत यूएलबी की कुल संख्या (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)			
2.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर का विवरण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)			
	नाम	प्रकार (संसाधक/सह-संसाधक/अपशिष्ट से उर्जा /अपशिष्ट से तेल/सड़क निर्माण)	पंजीकरण संख्या	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)

			पीडब्ल्यू (श्रेणी-I)	पीडब्ल्यू (श्रेणी-II)	पीडब्ल्यू (श्रेणी- III)	पीडब्ल्यू (श्रेणी- IV)	अन्य
3.	<b>पीडब्लूपी (टीपीए) के माध्यम से संसाधित प्लास्टिक अपशिष्ट</b>						
	प्रकार (संसाधक/सह-संसाधक/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सड़क निर्माण)	पीडब्लू (श्रेणी-I)	पी डब्लू (श्रेणी-II)	पीडब्लू (श्रेणी-III)	पीडब्लू (श्रेणी-IV)	अन्य	
4.	<b>पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) की लेखा-परीक्षा और लेवी (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)</b>						
क	लेखा परीक्षित संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्लूपी) की संख्या						
ख	उल्लंघन में पाई गई संस्थाओं की संख्या (पीआईबीओ/पीडब्लूपी)						
ग	उल्लंघन करने वाली संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्लूपी) पर लगाया गया ईसी						
ड	<b>120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, प्लास्टिक कैरी बैग पर नियम 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन</b>						
1.	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों और हॉटस्पॉट की कुल संख्या						
क	- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: मॉल, सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन						
ख	- संस्थान: स्कूल, कॉलेज, कार्यालय परिसर, आदि						
ग	- हॉटस्पॉट: पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूलों का बाजार, धार्मिक स्थल, आदि।						
2.	निरीक्षणों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त)						
3.	एसयूपी प्रतिबंध के उल्लंघन के कारण बंद किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और हॉटस्पॉट की कुल संख्या						
4.	निरीक्षण किए गए उद्योगों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से स्वचालित रूप से प्राप्त डेटा)						
5.	प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के निर्माण के कारण बंद किए गए उद्योगों की कुल संख्या						

6.	कुल लगाया गया जुर्माना (रु.) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से स्वतः प्राप्त डेटा)				
7.	जब्त किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त)				
8.	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और हॉटस्पॉट की कुल संख्या को एसयूपी मुक्त बनाया गया				
9.	जब्त एसयूपी के निपटान के तरीके का विवरण				
	जब्त की गई एसयूपी की मात्रा (टी)	निपटान का तरीका (पुनर्चक्रण/डब्ल्यूटीई/डब्ल्यूटी ओ/सह-प्रसंस्करण)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर का नाम और पता		
10.	कंपोस्टेबल प्लास्टिक सहित वैकल्पिक उत्पादन करने वाली संस्थाओं का विवरण				
	क्रम. सं.	इकाई का नाम	एसयूपी का विकल्प	संसाधन क्षमता (टीपीए)	पता
11.	एसयूपी शिकायत ऐप पर प्राप्त शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डेटा ऑटोफेड)				
12.	निवारण की गई शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डेटा ऑटोफेड)				
च	पीडब्ल्यूएम नियमों का प्रवर्तन				
1.	पंजीकृत प्लास्टिक कच्चे माल विनिर्माण इकाइयों का विवरण				
	कुल सं.:		क्षमता:	निर्मित उत्पाद	
2.	पंजीकृत पीडब्लूपी (गैर-पैकेजिंग) प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण				
	कुल सं.:		क्षमता:	निर्मित उत्पाद	
3.	अपंजीकृत विनिर्माण या पुनर्चक्रण इकाइयों का विवरण (आवासीय या गैर-अनुमोदित क्षेत्रों में)				
	कुल सं.:		क्षमता:	निर्मित उत्पाद	
4.	यूएलबी की संख्या जिन्होंने उपनियम बनाए हैं				
5.	पीडब्लूएम नियम, 2016, यथा संशोधित, 2018 (नियम 12) के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उल्लंघनों की संख्या और की गई कार्रवाई				

6.	उल्लंघनों की कुल संख्या (जलना/कूड़ा फैलाना/पंजीकरण न करना और अन्य गैर-अनुपालन)	
7.	की गई कार्रवाई (जुर्माना लगाया गया/बंद कर दिया गया)	

29. उक्त नियमों में फॉर्म V II के बाद निम्नलिखित फॉर्म अंतःस्थापित किया जाएगा:

फॉर्म V II

प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माता/प्लास्टिक कच्चे माल के आयातक की त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रारूप

वर्ष: त्रैमासिक: क्यू1/क्यू2/क्यू3/क्यू4

क्र. सं.	खरीदार का नाम	खरीदार की श्रेणी (1/2/3)	क्रेता श्रेणी 1 के लिए पंजीकरण संख्या @ और क्रेता श्रेणी 2 और 3 के लिए स्वीकृत संख्या	आपूर्ति किये गये प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार	आपूर्ति किए गए प्लास्टिक कच्चे माल की मात्रा (किलो या टन)	खरीदार जीएसटीएन	जीएसटी ई-इनवॉइस नंबर.

#### खरीदार श्रेणी

- 1: पंजीकृत उत्पादक (पैकेजिंग)
- 2: उत्पादक (गैर-पैकेजिंग)
- 3: अन्य

आपूर्ति किये गये प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार

- पीईटी
- एचडीपीई
- पीवीसी
- एलडीपीई
- पीपी
- पीएस
- अन्य

[फा. सं. 17/6/2023- एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण- मूल नियम को भारत के राजपत्र में 18 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 320 (ई) के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (ई), दिनांक 27 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

571 (ई), दिनांक 12 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647 (ई), दिनांक 17 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133 (ई), दिनांक 16 फरवरी 2022 के माध्यम से संशोधन किया गया था, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522 (ई), दिनांक 6 जुलाई 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था, और अंतिम बार इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318 (ई), दिनांक 27 अप्रैल 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2023

**G.S.R. 744(E).**—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: [satyendra.kumar07@nic.in](mailto:satyendra.kumar07@nic.in), [amit.love@nic.in](mailto:amit.love@nic.in).

### Draft Notification

Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the “said rules”) were notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016 to provide statutory framework for plastic waste management in the country in an environmentally sound manner;

Whereas, in order further strengthen the effective implementation of rules amendments are being proposed inter alia including comprehensive coverage of supply chain actors plastic raw material through registration under the rules; introduce regime for environmentally sound management of compostable and biodegradable plastics; use of information technology tools for online reporting replacing multi-step manual reporting and capturing of data at various stages of waste management at state and local authority level; provide for online electronic trading platform for trading of certificates generated by registered plastic waste processors for price discovery.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

**1.** (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the said rules, in rule 3,

(i) in sub-rule (k) for the words ““Importer” means a person who imports plastic packaging or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like” the following words shall be substituted, namely:-

““Importer” means a person who imports for the purpose of further sale plastic packaging or commodities with plastic packaging or carry bags or plastic packaging or plastic sheets or like and plastic raw material including in the form of resin or pellets

(ii) in sub-rule (m) for the words ““manufacturer” means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer”, the following words shall be substituted, namely:-

““manufacturer” means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material”;

(iii) in sub-rule (n), for the words ““multi-layered packaging” means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials

such as paper, paper board, polymeric materials, metallised layers or aluminium foil-, either in the form of a laminate or co-extruded structure”, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

““multi-layered packaging” means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure”;

(iv) in sub-rule (oa) for the words ““Plastic Packaging” means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways”, the following words shall be substituted, namely:-

““Plastic Packaging” means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways and having the following categories:

(a) Category I

Rigid plastic packaging;

(b) Category II

Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches including metallised layers;

(c) Category III

Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic or having one material as plastic and another material other than plastic);

(d) Category IV

Plastic packaging made of compostable plastics;

(e) Category V

Plastic packaging made from biodegradable plastics”

(v) after sub-rule (ua), the following sub-rule shall be inserted,-

“(ub) “seller” means a person who sells plastic raw material/intermediate material for plastic packaging for further use or sale.”;

**3.** In the said rules, in rule 4,

(i) in clause (e) of sub-rule (1), for the words “the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee” the following words shall be substituted, namely:-

“the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer or to a seller not registered on the centralized online portal specified in Schedule II”

(ii) in clause (h) of sub-rule (1), for the words “The provision of thickness shall not be applicable to carry bags and commodities made up of compostable plastic and biodegradable plastics. Carry bags and commodities made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers or seller, of compostable plastic and biodegradable plastic carry bags and/or commodities or both, shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling” the following words shall be substituted, namely:-

“The provision of thickness shall not be applicable to carry bags, sachets used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala and commodities banned under sub rule (2)(b) of rule 4 of these rules, made up of compostable plastic and biodegradable plastics. Carry bags and commodities made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers of compostable plastic and biodegradable plastic carry bags and/or commodities permitted under the rules, or both, shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling; and”

(iii) after clause (h), of sub-rule (1) the following clause shall be inserted, namely :-

“(ha) The use of compostable plastics and biodegradable plastics is permitted only for manufacture of carry bags, sachets used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala and commodities banned under sub rule (2)(b) of rule 4 of these rules, with mandatory marking and labeling as prescribed under these rules. CPCB may as required, prescribe guidelines, to permit manufacture of further commodities from compostable and biodegradable plastics, after approval of Government.”

(iv) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

(3a) The manufacturer of commodities mentioned in sub – rule (2) (b) made from biodegradable plastics shall have obligation to report on the quantum of such commodities introduced in the market and quantum of pre-consumer waste generated as per proforma prescribed by CPCB with effect from 1<sup>st</sup> April 2024.

(v) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(5) Units manufacturing commodities made from plastic or commodities containing part (s) made of plastic shall, as part of consent requirements, ensure processing of the pre-consumer plastic waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of such commodities either through self or through plastic waste processors registered under these rules and report pre-consumer plastic waste processed on annual basis online under Consent mechanism. Concerned SPCB/PCC shall ensure the online submission, through a portal, of these reports as part of compliance of consent requirements.”

**4.** In the said rules, in sub-rule (1) of rule 6, for the words “Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers” the following words shall be substituted, namely:-

“Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers or brand owners, as per mutually agreed terms and conditions”

(i) after sub-rule (4) of rule 6, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) The local body shall undertake assessment of plastic waste generated, including legacy plastic waste, in a year by 30<sup>th</sup> June of next financial year and also project plastic waste to be generated in accordance with the guidelines issued by CPCB.

(6) The local body shall assess, the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report it on their websites by 30<sup>th</sup> June of next financial year.

(7) The local body shall take necessary action to prevent stocking, distribution, sale and usage of banned Single Use Plastic items in their jurisdiction-

(8) The local body shall submit annual report on plastic waste management by 30<sup>th</sup> June of next financial year in Form V(A) covering the following through the Centralized Plastic Waste Annual Report Portal to be developed by CPCB:

(i) plastic waste generated, including legacy plastic waste, in a year

(ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing

(iii) projection of plastic waste to be generated

(iv) status on framing and implementation on byelaws

(v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of banned Single Use Plastic items.”

**5.** In the said rules, in sub-rule (1) of rule 7, for the words “Every gram panchayat either on its own or by engaging agencies or producers shall set up, operationalize and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely”, the following words shall be substituted, namely:-

“Every gram panchayat or Panchayati Raj Institution at the district level either on its own or by engaging agencies or producers or brand owners or manufacturers, as per mutually agreed terms and conditions shall set up, operationalize and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely”

(i) after clause (c) of sub-rule (1) of rule 7, the following clauses will be inserted, namely:-

(d) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;

(e) engaging civil societies or groups working with waste pickers;

(f) ensuring that open burning of plastic waste does not take place;

(g) The Gram Panchayat shall take necessary action to prevent stocking, distribution, sale and usage of Single Use Plastic items in their jurisdiction

**6.** after rule 7 of said rules, the following new rule shall be inserted, namely:-

“7A. Responsibility of Panchayati Raj Institution at District Level (such as Zilla Parishad)

(1) The Panchayati Raj Institution at District Level shall undertake of plastic waste generated, including legacy plastic waste, in a year by 30<sup>th</sup> June of next financial year for rural areas of the district and also develop projection for quantity of plastic waste in accordance with the guidelines issued by CPCB.

(2) The Panchayati Raj Institution at District Level shall assess, the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report in on their websites by 30<sup>th</sup> June of next financial year.

(3) The Panchayati Raj Institution at District Level shall report by 30<sup>th</sup> June of next financial year in Form V(B) covering the following through the Centralized Plastic Waste Annual Report Portal to be developed by CPCB:

- (i) plastic waste generated, including legacy plastic waste, in a year
- (ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing
- (iii) projection of plastic waste to be generated
- (iv) status on framing and implementation on byelaws
- (v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of banned Single Use Plastic items.”

**7.** In the said rules, in rule 9,

(i) in sub-rule (1) for the words “The Producers, Importers and Brand Owners, shall fulfill Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging as per guidelines specified in Schedule- II”, the following words shall be substituted, namely:-

“The Producers, Importers and Brand Owners and manufacturer of permitted commodities and plastic packaging mentioned in clause (ha) of sub-rule (1) of Rule 4, made from compostable and biodegradable plastics, shall fulfill Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging as per guidelines specified in Schedule- II”,

(ii) in sub-rule (2), for the words “Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products”, the following words shall be substituted, namely:-

“Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners, and manufacturers and importers of plastic may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.”

**8.** after sub – rule (6) of rule 10, following new sub-rule shall be inserted, namely: -

“(7) In cases where sample testing has commenced, before the laboratory was recognized/certified by BIS or NABL, and the report is complying with IS 17899 T:2022, the applicant may be asked to submit the sample for re-testing and be permitted to continue with the production or usage of the said biodegradable plastic material for report complying with IS 17899 T:2022 is available, till such time the fresh test report is received from duly accredited laboratory covered under sub-rule 6.

“(8) BIS shall prescribe separate colour / marking for plastic packaging and commodities made from compostable and biodegradable plastics based upon processing for compostable plastics and end of life environmental media / site for biodegradation.”

**9.** in rule 11,

(i) in sub-rule (2), for the words “Each recycled carry bag shall bear a label or a mark “recycled” as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics”, as amended from time to time”, the following words shall be substituted, namely: -

“Each recycled carry bag or plastic packaging or commodity shall bear a label or a mark “recycled” as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics”, as amended from time to time”

(ii) in sub-rule (3), for the words “Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label “compostable” and shall conform to the Indian Standard: IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics” the following words shall be substituted, namely: -



“Each carry bag or plastic packaging or commodity covered under Rule 4 made from compostable plastics shall bear a label “compostable only under industrial composting” and shall conform to the Indian Standard: IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics”

(iii) after sub-rule (3), of the rule 11, the following new sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) Each carry bag or plastic packaging or commodity covered under Rule 4 made from biodegradable plastic shall bear the label “Biodegradable in [ --- specify number of days ---] only in the [---specify recipient environment such as land, landfill, water etc.---]”.”

**10.** In rule 13,

(i) after sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, for the purpose of one-time registration, in the Form III through Centralized online portal specified in Schedule –II subject to the following conditions:

(i) sell plastic raw material to only those Producers of plastic packaging who are registered on the “Centralized online portal” specified in Schedule –II and that Registration number of such producer is mentioned on sale invoice for sale of plastic raw material;

(ii) not sell plastic raw material to any entity or units engaged in manufacturing of banned single use plastic items;

(iia) sell plastic raw material to only those sellers who are registered on the “Centralized Online Portal”

(iii) submit Quarterly Report on the “Centralized online portal” specified in Schedule –II as per Form VII;

(iv) print the following on all packaging bags of plastic raw material:

“Not to be used in the manufacture of SUP items prohibited under PWM Rules, 2016 including plastic sheets < 50 micron thickness, non-woven carry bags < 60 GSM, Carry bags < 120 micron thickness”

(v) incorporate the following in all MoU/ Sale Contracts/Price Lists pertaining to sales of plastic raw materials:

“Buyer hereby undertakes and warrants to comply, at all times, with the applicable laws including but not limited to the Plastic Waste Management Rules 2016 as amended from time to time and notifications and directives issued thereunder (“PWM Rules”), in relation to the use of the Goods. Buyer expressly undertakes and warrants that the plastic raw material purchased shall not be used, directly or indirectly, in production of banned Single Use Plastic (SUP) items, listed in PWM Rules.”

(ii) after sub-rule (4), the following new sub-rule is inserted, namely:-

“(4a) Every person engaged in selling plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging to producer shall make an application to the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, for the grant of one-time registration, in the Form prescribed by CPCB for the purpose through Centralized online portal specified in Schedule -II.”

(iii) in sub-rule (8) for the words,

“Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects”, the following words shall be substituted, namely:-

“In case an application for registration under sub-rule (1) to sub-rule (5) complete in all respect is pending for registration with the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee for more than 30 days, in such cases after completion of 30 days CPCB shall be the become the authority for registration.”

**11.** for rule 17, the following rule shall be substituted:

“17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> April, of every year through online reporting module developed by CPCB.

(2) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall prepare and submit an annual report in Form VII to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> June, of every year through online reporting module developed by CPCB.

(3) Every person involved in the sale of plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging shall prepare and submit an annual report in the form prescribed by CPCB to the concerned State

Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> June, of every year through online reporting module developed by CPCB.

(4) Every urban local body *as well as Panchayati Raj Institution at District Level* shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Additional Chief Secretary/Principal Secretary of the Urban Development Department and to Additional Chief Secretary/Principal Secretary of the Rural Development Department, respectively under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> June, every year through online reporting module developed by CPCB.

(5) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31<sup>st</sup> July, of every year through online reporting module developed by CPCB.

(6) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31<sup>st</sup> August of every year.

(7) CPCB, as required, shall amend the forms prescribed under these rules under intimation to the Government.”

**12.** In schedule II of the said rules, in the title for the words “Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging” the following words shall be substituted, namely:-

“Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging and commodities made from compostable plastics and biodegradable plastics”

**13.** In clause 4 of schedule II, for the words, “**Obligated Entities:**

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -

- (i) Producer (P) of plastic packaging;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors”, the following words will be substituted, namely:-

“**Obligated Entities:**

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -

- (i) Producer (P) of plastic packaging, other than those which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors;
- (v) Manufacturers and importers of plastic raw material;
- (vi) Manufacturers of items, mentioned in sub rule (4)(ha), made from compostable plastics and biodegradable plastics.

**14.** In item (iv) of sub-clause (5.1) of clause 5 of Schedule II, for the words “Category IV Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics”, the following words shall be substituted, namely:-

“Category IV

carry bags, sachets used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala and commodities banned under sub rule (2)(b) of rule 4 of these rules and commodities covered under sub-rule (1)(ha) of rule 4, made of compostable plastics”

**15.** after item (iv) of sub-clause (5.1) of clause 5 of Schedule II, the following item shall be inserted, namely:-

“(v) Category V

carry bags, sachets used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala and commodities banned under sub rule (2)(b) of rule 4 of these rules and commodities covered under sub-rule (1)(ha) of rule 4, made of biodegradable plastics.”

**16.** in clause (6.3) of Schedule II, for the words “The entities covered under clause (6.1) shall not deal with any entity not registered through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board”, the following words shall be substituted, namely:-

“The entities covered under clause (6.1) any unregistered entity covered under Clause 6.1 shall not deal with any entity not registered through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board”

**17.** in item (a) of sub-clause (6.1) of clause 6 of Schedule II, for the words “The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board namely: -

- i. Producer (P);
- ii. Importer (I);
- iii. Brand owner (BO);
- iv. Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting.”, the following words shall be substituted, namely : -

“The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board namely: -

- i. Producer (P) including those which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India;
- ii. Importer (I);
- iii. Brand owner (BO);
- iv. Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting;
- v. Manufacturers and importers of plastic raw material;
- vi. Manufacturers of items, mentioned in sub rule (4)(ha), made from compostable plastics and biodegradable plastics”

**18.** clause (7.8) of Schedule II shall be omitted.

**19.** after clause (7.7) in Schedule II the following clause shall be inserted, namely:-

“(7.9) Manufacturer or importer of plastic raw material - Eligible Quantity in MT for Extended Producer Responsibility Target category-wise

(i) The extended producer responsibility of micro and small producers shall be fulfilled manufacturer or importer of plastic raw material who has supplied the plastic raw material to micro and small producers:

Provided that the target for use of recycled plastic content shall be fulfilled by such producers.

(ii) The Extended Producer Responsibility Target category-wise for manufacturer or importer of plastic raw material shall be the quantity of plastic raw material sold to micro and small producers where the sale invoice is authenticated by the manufacturer or importer of plastic raw material, on the centralized online portal

(iii) The category of plastic packaging shall be declared by the micro and small producers on the centralized online portal.

(iv) While fulfilling the EPR target category-wise the manufacturer or importer of plastic raw material shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given below, subject to namely: -

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60

Category III	30	40	50	60
Category IV	50	60	70	80

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

**20.** after sub-clause (8.4) of clause 8 of Schedule II, the following sub-clauses shall be inserted, namely :-

“(8.5) CPCB shall issue guidelines for authorization of agencies for establishment of Electronic platform (s) for trade of EPR certificates between obligated entities.

(8.6) The number of electronic platform (s) may be restricted by CPCB keeping in view volume of trade of EPR certificates.

(8.7) The operation and regulation of electronic platform (s), so established under clause 8.5 for trade of EPR certificates between obligated entities, shall be as per guidelines notified by CPCB for the purpose.

(8.9) The CPCB shall fix the highest and lowest price for EPR certificate every six month or as required, keeping in view the cost for collection and environmentally sound management of plastic packaging waste and the environmental compensation regime in force.”

**21.** In clause 10 for the words “ Role of Producers, Importers & Brand-Owners”, the following words shall be substituted, namely:-

“ Role of Producers, Importers & Brand-Owners and manufacturers and importers of plastic raw material”

**22.** In clause (10.1) for the words “(10.1) The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to register through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued using the portal.”, the following words shall be substituted, namely:-

“(10.1) The Producers, Importers & Brand-Owners and manufacturers and importers of plastic raw material shall have to register through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued using the portal.”

**23.** In clause (10.5) for the words “(10.5) In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.” the following words shall be substituted, namely:-

“(10.5) In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners and manufacturers and importers of plastic raw material may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.”

**24.** In clause (10.6), after the words “Producers, Importers & Brand Owners”, the following words shall be inserted “manufacturers and importers of plastic raw material”.

**25.** for clause 15.1 of Schedule II, the following clause shall be substituted:

“(15.1) The Producers, Importers & Brand-Owners and manufacturers and importers of plastic raw material shall have to provide the details of recycling certificate only from registered recyclers along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal. The details provided by Producers, Importers & Brand-Owners and registered plastic waste processors will be cross-checked by the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation of Producers, Importers & Brand-Owners. The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be.

**26.** after clause 15.2 of Schedule II, the following clause shall be added:

(15.3) Manufacturers of biodegradable plastics shall fulfill their EPR obligations by obtaining EPR certificates generated by local authorities based upon mutually agreed modalities. The local authorities shall generate EPR certificates equal to the biodegradable plastic collected by them put to end of life biodegradation in the respective recipient environment as per BIS standard. Such transactions shall be recorded and submitted by the manufacturers on the centralized online portal while filing annual returns under the Extended Producer Responsibility framework. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized portal.”

**27.** In the said rules, Form V, shall be substituted with the following forms namely:-

## FORM V

## (A) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE URBAN LOCAL BODY

Period of Reporting:

<b>A</b>	<b>General</b>	
1.	Name of the City or Town and State:	
2	Name & Address of Local body	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Population	
6	Area in sq. Kilometers	
7	Total numbers of the wards in the area under jurisdiction	
8	Total numbers of households in the area under jurisdiction ( current year)	
9	Number of households covered by door to door collection	
10	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction covered by door to door collection	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercial establishments</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institutions</li> </ul>	
<b>B</b>	<b>Mechanism of Plastic Waste Management</b>	
<b>1</b>	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved ( Please attach the details)	
<b>2</b>	Please attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
3	Door to door collection of segregated waste (coverage)	
4	Total no. and capacity of MRF Facilities	
	a) No. and capacity of Mechanical MRF Facilities	
	b) No. and capacity of Manual MRF Facilities	
5	Number and capacity of industrial composting unit for compostable plastics	
6	Number and capacity of Operational Waste to energy Plants	
7	Number and capacity of operational wastes to Oil units	
8	Quantity and capacity of Plastic waste used in road construction along with KM	
9	Disposal of thermoset plastic as per guidelines	
10	Linkages with cement plants etc. for plastic waste	
11	Provision for disposal of inert material from recyclers and other waste processor in sanitary landfill (Y/N)	
12	Number of recycling facility with details of category- wise	
13	Scientific Landfill site (number and capacity)	
14	Legacy waste site (number and amount of legacy waste)	
<b>C</b>	<b>Plastic Waste Generation, Collection, Segregation &amp; Characterization</b>	

1.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic packaging ( Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Others type of plastic waste</li> </ul>		
2	Please confirm that Assessment of Plastic Waste Generation is as per methodology specified by CPCB ( Yes/No)		
3	Please upload Plastic Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB		
4	Quantity of plastic collected during the year from area under jurisdiction (in tons)		
5	Plastic Waste Segregated (Tonnes)		
6	Quantity of plastic waste channelized for recycling and processing during the year (in tons)		
7	Quantity of plastic waste channelized for reuse during the year (in tons)		
8	Quantity of inert or rejects sent from recycling facilities to landfill sites during the year (in tons)		
<b>D</b>	<b>EPR Implementation</b>		
1.	ULBs Registration No. on generated from centralized online portal specified in Schedule II		
2.	Details of Plastic Waste Processors (To be autofetched from EPR Portal )		
	Name	Type (Recycler/Coprocessors/ Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making )	Registration No
			Processing Capacity ( TPA)
			PW (Cat-I)
			PW (Cat-II)
			PW (Cat-III)
			PW (Cat-IV)
			Others
	Type(Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making )	PW (Cat-I)	PW (Cat-II)
			PW (Cat-III)
			PW (Cat-IV)
			Others
<b>3</b>	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N)		
<b>a</b>	Model selection ((1. Own PWPs of ULB 2. Providing plastic waste 3. Other)		
<b>4</b>	Certificate generated by ULB Own PWPs in previous year (MT)		
<b>5</b>	Certificate transferred in previous year to PIBO (MT)		
<b>6</b>	Others (details)		

E.	Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns				
1	Total number of commercial establishments/Institutions & Hotspots in the area under jurisdiction				
a	-Commercial establishments = Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations				
b	- Institutions- Schools, Colleges, Office Complex etc				
c	-Hotspots – Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.				
2	Total No of Inspections ( Data Autofetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
3	Total No of Commercial Establishment and hotspots closed for SUP Ban Violation				
4.	Total Fine imposed ( Rs.) ( Data Autofetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
5.	Quantity of Banned SUP seized( Tons) ( Data Autofetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
6.	Total No of Commercial establishment and hotspot made SUP free				
7.	Details of mode of disposal of seized SUP				
	Qty of SUP Seized ( T)	Mode of Disposal ( Recycling/ WtE/ WtO/ Co- processing)	Name & Address of the Plastic Waste Processor		
9.	Details of Entities producing Alternatives including compostable plastics				
	S.No	Name of Entity	SUP Alternative	Processing Capacity (TPA)	Address
10.	No of Complaints received on SUP grievance App ( Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
11.	No of Complaints resolved ( Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
12	Setting up plastic waste management cell				
13	Identified ingress points for plastic waste at Drain and Water Body				
14	Number of surface water bodies and drains cleaned from Plastic waste				

15	Measures taken to stop ingress of plastic waste in water bodies and drains	
16	Distribution points for Eco alternatives for banned Single Use Plastic items	
<b>F</b>	<b>ENFORCEMENT OF PWM RULES</b>	
1.	Please confirm if Bye- laws have been framed ( Yes/No)	
2.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)	
3.	Total no of Violation (Burning/ Littering)	
4.	Action Taken ( Fine Imposed Rs.)	

(B) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE PANCHAYATI RAJ INSTITUTION AT THE DISTRICT LEVEL

Period of Reporting:

<b>A</b>	<b>General</b>	
1.	Name of the District and State:	
2	Name & Address of Panchayati Raj Institution At The District Level	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Number of Gram Panchayats covered	
6	Number of villages covered	
7	Total Population	
8	Total Area	
9	Total number of households	
<b>B</b>	<b>Mechanism of Plastic Waste Management</b>	
1.	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved ( Please attach the details)	
2.	Please attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
3.	Total no. of Plastic Waste Management Units set up with capacity	
<b>C</b>	<b>Plastic Waste Generation, Segregation &amp; Collection, Characterization</b>	
1.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) (Plastic packaging waste: Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV and Others)	
2.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)	
3.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)	
4.	Please confirm that Assessment of Plastic Waste Generation is as per methodology specified by CPCB ( Yes/No)	
5.	Please upload Plastic Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB	



6.	Plastic waste channelized for processing and recycling (details quantum of plastic waste, type of processing)					
7.	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N)					
a	Model selection ((1. Own PWP's of ULB 2. Providing plastic waste 3. Other)					
<b>D</b>	<b>Details of Plastic Waste Processing ( including EPR details)</b>					
	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making )	PW (Cat-I)	PW (Cat-II)	PW (Cat-III)	PW(Cat-IV)	Others
<b>E.</b>	<b>Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns</b>					
1	Total number of Institutions & Hotspots in the area under jurisdiction					
a	- Institutions- Schools, Colleges, etc					
b	Hotspots – sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.					
2	Total No of Commercial establishment and hotspot made SUP free					
<b>F</b>	<b>ENFORCEMENT OF PWM RULES</b>					
1	Please confirm if Bye- laws have been framed ( Yes/No)					
2	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)					
3	Total no of Violation (Burning/ Littering)					
4	Action Taken (Fine Imposed Rs.)					

28. In the said rules, Form VI, shall be substituted with the following forms namely:-

#### FORM VI

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY  
SPCB/PCC

Period of Reporting:

A	General	
1.	Name of the State/UT:	
2.	Name & Address of SPCB/PCC:	
3.	Contact E-mail:	
4.	Contact Phone No.	
5.	Details of Plastic Waste Management (State Level)	
	• Collection (MT)	
	• Segregation (MT)	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processing including recycling (MT)</li> </ul>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposal (MT)</li> </ul>									
<b>B</b>	<b>Mechanism of Plastic Waste Management</b>									
1.	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in your State/UT along with the details of agencies involved ( Please attach the details)									
2.	Please attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in your State/UT									
3.	Total no. of MRF Facilities									
a	No. of Mechanical MRF Facilities with capacity									
b	No. of Manual MRF Facilities with capacity									
<b>C</b>	<b>Plastic Waste Generation, Collection, Segregation &amp; Characterization</b>									
1.	Total Numbers of the Urban Local Bodies (ULBs) in the area under jurisdiction									
2.	No. of ULBs who have submitted Annual Report									
3.	Total Numbers of the Gram Panchayat (GPs) in the area under jurisdiction									
4a	Total number of Panchayati Raj institution at District Level									
4b	No. of Panchayati Raj institution at District Level who have submitted annual report									
5	Please confirm that all GPs/ULBs have provided complete information in stipulated time as per format prescribed by CPCB ( Yes/No)									
6.	Please provide no. of ULBs/GPs which have not submitted complete information within the stipulated time frame									
7.	Please provide total amount of EC levied on GP/ULBs as per “6” above									
8.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) ( Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV/ Others)									
9.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)									
10.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)									
11.	Please confirm that all Local Bodies/ GPs have carried out Assessment of Plastic Waste Generation & Characterization as per methodology specified by CPCB ( Yes/No)									
12.	Please upload Plastic Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB									
13.	Please confirm that data validation and reconciliation has been done as per methodology specified by CPCB ( Yes /No)									
<b>D</b>	<b>EPR Implementation</b>									
1.	Total Number of ULBs registered on EPR ( To be autofetched from EPR portal )									
2.	Details of Plastic Waste Processors (To be autofetched from EPR Portal )									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Registration</th> <th>Processing Capacity ( TPA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Registration	Processing Capacity ( TPA)					
Name	Type	Registration	Processing Capacity ( TPA)							

	(Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making )	No						
				PW (Cat-I)	PW (Cat-II)	PW (Cat-III)	PW (Cat-IV)	Other s
3.	<b>Plastic Waste Processed through PWPs (TPA)</b>							
	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making )	PW (Cat-I)	PW (Cat-II)	P W (C at-III)	PW (Cat-IV)			Other s
4.	<b>Audit &amp; Levying of Environmental Compensation (EC) ( To be auto fetched from the EPR Portal)</b>							
a	No. of Entities (PIBOs/PWPs) audited							
b	No. of Entities (PIBOs/PWPs) found in violation							
c	EC levied on violating Entities (PIBOs/PWPs)							
<b>E.</b>	<b>Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns</b>							
1.	Total number of commercial establishments/ Institutions & Hotspots in the area under jurisdiction							
a	-Commercial establishments :Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations							
b	- Institutions: Schools, Colleges, Office Complex etc							
c	-Hotspots :Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.							
2.	Total No of Inspections ( Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)							
3.	Total No of Commercial Establishment and hotspots closed for SUP Ban Violation							
4.	Total No. of Industries inspected( Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)							
5.	Total no. of industries closed for manufacturing banned SUP items							
6.	Total Fine imposed (Rs.) ( Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)							
7.	Quantity of Banned SUP seized( Tons) ( Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)							

8.	Total No of Commercial establishment and hotspot made SUP free				
9.	Details of mode of disposal of seized SUP				
	Qty of SUP Seized ( T)		Mode of Disposal ( Recycling/ WtE/WtO/ Co-processing)	Name & Address of the Plastic Waste Processor	
10.	Details of Entities producing Alternatives including compostable plastics				
	Sl.No.	Name of Entity	SUP Alternative	Processing Capacity (TPA)	Address
11.	No of Complaints received on SUP grievance App ( Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
12.	No of Complaints resolved ( Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
F	<b>ENFORCEMENT OF PWM RULES</b>				
1.	<b>Details of Registered Plastic Raw Material Manufacturing Units</b>				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
2.	<b>Details of Registered PWP (Non- packaging) Processing Facilities</b>				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
3.	<b>Details of Unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas).</b>				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
4.	No. of ULBs which have framed bye-laws				
5.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)				
6.	Total no. of violations (Burning/ Littering/non-registration and other non-compliance)				
7.	Action Taken ( Fine Imposed / Closures issued)				

29. In the said rules after Form VI, the following Form shall be inserted:

FORM VII

**Format for Quarterly report of Plastic Raw Material Manufacturer / Importer of plastic raw material**

Year: Quarter: Q1/Q2/Q3/Q4

S. No.	Buyer Name	Buyer category (1/2/3)	Registration number@ for buyer category 1 and Consent no. for buyer category 2 and 3	Type of plastic raw material supplied	Qty. of plastic raw material supplied (Kg. or Tonnes)	Buyer GSTN	GST E-invoice No.

**Buyer Category**

- 1: Registered Producer (Packaging)
- 2: Producer (Non-packaging)
- 3: Others

**Type of plastic raw material supplied**

1. PET
2. HDPE
3. PVC
4. LDPE
5. PP
6. PS
7. Others

[F. No-17/6/2023-HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

**Note**-The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, vide notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, vide notification number G.S.R. 133(E), dated the 16th February 2022, vide notification number G.S.R. 522(E), dated the 6th July 2022 and last amended vide notification number G.S.R. 318(E), dated the 27th April 2023.